भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 649

उत्तर देने की तारीख : 28.11.2024

एमएसएमई की विकास दर

649. **श्री नवसकनी के. :**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान महत्वपूर्ण विस्तार दर्शाने वाले प्रमुख क्षेत्रों और प्रक्षेत्रों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र द्वारा दर्ज की गई वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या तमिलनाडु राज्य में एमएसएमई के विकास में सुधार लाने के लिए केन्द्र द्वारा वित्तपोषित कोई योजना उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान तमिलनाडु राज्य में एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों की कुल संख्या में वृद्धि करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अगले तीन वर्षों के लिए निर्धारित विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) : दिनांक 01.07.2020 को एमएसएमई की संशोधित परिभाषा को अपनाने के बाद से, दिनांक 25.11.2024 तक, कुल 5,50,79,458 उद्यमों ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल और उद्यम असिस्ट प्लेटफार्म (यूएपी) पर पंजीकरण किया है। वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 और 2023-24 के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल और यूएपी पर दर्ज एमएसएमई की वर्ष-वार वृद्धि का विवरण वर्ष-दर-वर्ष आधार पर क्रमशः 80.99%, 66.81% और 191.05% है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल और यूएपी आंकड़ों के अनुसार, जिन क्षेत्रों ने खुदरा और थोक व्यापार, खाद्य और पेय पदार्थ सेवा कार्यों, आवास, कंप्यूटर और व्यक्तिगत और घरेलू सामानों की मरम्मत आदि में उच्च विकास दर दर्ज की है। पोर्टलों पर दर्ज एमएसएमई की संख्या के मामले में महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु ने सबसे अधिक वृद्धि दिखाई है।

(ख) से (घ) : तमिलनाडु राज्य सहित, देश में एमएसएमई के विकास का समर्थन करने और इसका संवर्धन करने के लिए भारत सरकार केंद्रीय क्षेत्र की अनेक योजनाओं को लागू करती है, जैसे प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, स्टार्टअप्स हेतु कोष निधि, प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, सूक्ष्म और लघु उद्यम-क्लस्टर विकास कार्यक्रम, पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए निधि की योजना, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए योजना आदि। ये सभी योजनाएं मांग आधारित हैं।

*****